न्यायालयः– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **सीता शर्मा, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्याः– **52/2019**
जी.सी.एम.एस. संख्याः– **2019/00015**

1. मामराज
2. जालूराम

} पुत्रगण जेठाराम अकवाम सुथार निवासी 10 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – –वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़
2. दुर्गादेवी
3. अणची देवी
4. रूकमा देवी
5. मोहनी देवी
6. गोमती देवी
7. आशी देवी

} पुत्रीयां जेठाराम जाति सुथार निवासीयान चक 10 SPD तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– –प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 88,183,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार।
2. राजपैरोकार तहसीलदार, सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

–आदेश– **दिनांकः 18.06.2024**

1. उभय पक्ष उपस्थित। संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के जेठा पुत्र गंगु को रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 236/2 में 7.00 बीघा व खसरा संख्या 236/4 में 9.00 बीघा, खसरा संख्या 237 मिन 2 में 6.18 बीघा इस प्रकार कुल 22.18 बीघा भूमि आरजी काश्त आवंटन थी। उक्त रकबा पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त रहा था, उनकी मृत्यु उपरान्त हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है। वर्तमान में उक्त खसरा संख्या 175 में समाहित हो चुकी है। जिस पर वादीगण 4.177 हैक्टर रकबा पर कब्जा काश्त है। जिसकी धारा 22 की कार्यवाही की जा रही है। आवंटन की दिनांक से वादीगण का कब्जा उसी स्थान पर चला आ रहा है। यदि खसरा परिवर्तन हुआ है तो वाद पत्र के मद संख्या 2 में दर्ज खसरा ... के रकबा का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जाकर बहिस्सा ... आरजी काश्तकार घोषित करवाने के पात्र है। इसी अनुसार दावा पेश किया ... वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। ... 30.06.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 को बा... बार आवाजें लगवाने के बावजूद उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 19.10.2022 को जवाब स्टैट पेश नही करने पर बंद किया जाकर साक्ष्य वादी हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पत्रावली रखी गई। दिनांक 02.02.2023 को वादी संख्या 1–2 द्वारा उपस्थित आकर बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य वादी करवाये गये। जिस पर जिरह शून्य रही। वादीगण द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य वादी बंद कर बहस सुनी गई।

2. वकील वादीगण ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता जेठा पुत्र गंगु को रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 236/2 में 7.00 बीघा व खसरा संख्या 236/4 में 9.00 बीघा, खसरा संख्या 237 मिन 2 में 6.18 बीघा कुल 22.18 बीघा भूमि आराजी काश्त आवंटन थी। जिस पर आवंटन की दिनांक से ही वादीगण के पिता का कब्जा काश्त रहा था एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है। वर्तमान में उक्त रकबा खसरा संख्या 175 में समाहित हो चुकी है। वादीगण का 4.177 हैक्टर रकबा पर कब्जा काश्त है, जिसकी धारा 22 की कार्यवाही की जा रही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के पिता जेठा को मद संख्या 2 में अंकित आवंटित रकबा का कब्जा पटवारी द्वारा सौंपा गया था उसी स्थान पर अब वादीगण का कब्जा काश्त है। यदि अब कोई खसरा परिवर्तन हुआ है तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 जायज वारिसान की हैसियत से आराजी काश्तकार घोषित करवाने के पात्र है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जावे।

3. राजपैरोकार ने निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आधारहीन है। वाद पत्र में वादीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि खसरा संख्या 175 उनके पूर्वज को कभी आवंटित हुआ है। अतः वाद पत्र मय कोस्ट खारिज किया जावे।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने पिता जेठा पुत्र गंगु को रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा संख्या 236/2 में 7.00 बीघा व खसरा संख्या 236/4 में 9.00 बीघा, खसरा संख्या 237/2 में 6.18 बीघा कुल 22.18 बीघा आरजी काश्त आवंटन बताया है। वादी द्वारा ना तो सम्वत् 2042 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई एवं ना ही उनके द्वारा लगातार खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की गई। वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि उन्हे खसरा संख्या 175 में 22.18 बीघा रकबा का आरजी काश्तकार घोषित किया जावे। लेकिन वे यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त खसरा उनके पिता को आवंटित खसरा से ही बना है। ऐसा कोई खसरा परिवर्तन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:16:59 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आधारहीन होने तथा साक्ष्यों से सिद्ध नही होने पर अस्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिकी::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सीता शर्मा , आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.मामराज
2.जालूराम } पुत्रगण जेठाराम जाति सुथार निवासी 10 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ

2.दुर्गादेवी
3.अणचीदेवी
4.रूकमादेवी
5.मोहनी देवी
6.गोमती देवी
7.आशीदेवी } पिसरान जेठाराम जाति सुथार निवासी 10 एस0पी0डी0 तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,183,209 आर0टी0 एक्ट मुकदमा नं. 52 वर्ष 2019 (GCMS 2019/00015) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र सुथार एवं राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण आधारहीन होने तथा साक्ष्यों से सिद्ध नही होने पर अस्वीकार किया जाता है।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकद[illegible] बशरह..... x..... फस्दों की पालना..... x..... आज की तारीख से तारीख वसूलया [illegible]

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18.06.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.19 18:16:59 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)